

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.))

क्रमांक : स्वाइन फ्लू/14/232

दिनांक 16/05/14

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- स्क्रीनिंग में सुधार करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त जिलो की 01.05.14 से 14.05.14 तक की स्क्रीनिंग रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा स्क्रीनिंग प्रभावी रूप से नहीं हो रही है। क्योंकि आपके द्वारा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव एवं मृत्यु होने की स्थिति में ही स्क्रीनिंग करवाई जा रही है प्रतिदिन घर-घर सर्वे नहीं करवाया जा रहा है। जिसके कारण राज्य में स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव एवं मृत्युओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्क्रीनिंग के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के साथ-साथ निम्न कार्यवाही को सुचारु रूप से किया जाना सुनिश्चित करे :-

- अपने जिले में गठित टीम द्वारा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव एवं स्वाइन फ्लू से मृत्यु होने के अलावा भी प्रतिदिन घर-घर सर्वे कर स्क्रीनिंग को सुचारु रूप से सुनिश्चित करें, ताकि आई.एल.आई. रोगियों का प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगाकर उपचार किया जा सके। ताकि स्वाइन फ्लू से हो रही मृत्युओं को रोका जा सके।
- ए, बी एवं सी कैटेगरी के अन्तर्गत आने वाले रोगियों का योग आई.एल.आई. रोगियों की संख्या बराबर होना चाहिए।
- निजी एवं सरकारी अस्पतालों में नये व पुराने भर्ती मरीजों की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- टेमीफ्लू के बेलेंस की सूचना दैनिक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे।

की कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./स्वाइन फ्लू/2014/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.), मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन- राजस्थान।
5. सर्वर कक्ष, कमरा नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को ई-मेल करावें।
6. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

